न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 08/2013/नागौर (2013/00090)

राजेश कुमार पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी तरनाऊ जिला नागौर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
आदेश दिंनाक 30–4–2013

————

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक :13.03.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम 12 बोर डी. बी.बी.एल. गन संख्या 80842 तथा 32 बोर रिवाल्वर नम्बर एफ.जी./16549 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 29/98 है जो लगातार वर्ष 1998 से नवीनीकृत होता आ रहा था। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण कराने के लिए निर्धारित अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला मजिट्रेट, नागौर ने अपीलार्थी के चरित्र संबंधी जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक नागौर से रिपोर्ट चाही गई। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 1–8–2011 को आदेश पारित कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 29/98 को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं कर निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा दिनांक 7–8–2012 द्वारा स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश दिनांक

1–8–2011 को निरस्त करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करने हेतु आदेश जारी कर दिये। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने उक्त आदेश की पालना में आर्म्स लाईसेंस का नवीनीकरण आदेश जारी नहीं कर अपना आदेश दिनांक 30–4–2013 को पारित कर अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 29/98 को निरस्त कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि संभागीय आयुक्त, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 7–8–2012 में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16–2–2010 व पत्र दिनांक 24–2–2010 के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक नागौर की रिपोर्ट दिनांक 21–8–2010 को आधार मानकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने के आदेश दिये थे। जिला पुलिस अधीक्षक नागौर ने इस रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया कि यदि अपीलार्थी के नाम जारी आर्म्स लाईसेंस का आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किया जाता है तो उनके विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने विवादित आदेश में पुलिस अधीक्षक नागौर की उक्त रिपोर्ट को यह कहकर मानने से इन्कार कर दिया कि पुलिस अधिकारी से केवल अनुज्ञाधारी के विरूद्ध आपराधिक मामलें लम्बित होने की रिपोर्ट ली जाती है पुलिस अधिकारी रिपोर्ट अनुज्ञापन अधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने संभागीय आयुक्त अजमेर के प्रतिप्रेषित आदेश को नहीं माना और राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के आधार पर ही अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि परिपत्र दिनांक 16–2–2010 में दी गई व्यवस्था के अनुसार यदि लाईसेंसधारी के विरूद्ध कोई फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है तो इस आधार पर लाईसेंस को निरस्त नहीं किया जा सकता है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3)(बी) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। अपीलार्थी ने कभी भी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। मुकदमा संख्या 7 दिनांक 6–1–2006 धारा 147, 148, 341, 323, 324, 325, 307, 302 आईपीसी के तहत दर्ज एफ.आईआर में अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं है। इसी प्रकार मुकदमा संख्या 81 दिनांक 13–2–2008 फर्जी एवं गलत तरीके से अपीलार्थी के नाम दर्ज किया गया था। यद्यपि यह मुदकमा न्यायालय ने ड्राप कर दिया था परन्तु अपीलार्थी ने उप पुलिस

अधीक्षक व थानाधिकारी के विरूद्ध 50,000/– रूपयें रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। प्राथमिक जांच में शिकायत सही पाई गई और इन अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत आरोप पत्र भी जारी किये गये। उक्त कार्यवाही से नाराज होकर पुलिस विभाग ने द्वेषता की भावना से मुकदमा संख्या 102/2010 आबकारी अधिनियम व मुकदमा संख्या 103/2010 दर्ज किये गये। उक्त मुकदमों पर थाने में अभी भी अनुसंधान चल रहा है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने जब अपीलार्थी के प्रकरण में राज्य सरकार के गृह विभाग को टिप्पणी भेजी तो गृह विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प–1(17) गृह–9/2009 दिनांक 24–2–2010 के द्वारा इस विषय पर गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने इन निर्देशों की पालना नहीं कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) में यदि लाईसेंस निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाती है तो लाईसेंसिग अर्थोरिटी को उप धारा 5 में कारण बताने होंगे कि लाईसेंसी के पास हथियार होने से किन कारणों से जन सुरक्षा को खतरा है। माननीय इलाहाबाद होईकोर्ट ने 2006 (3) क्रिमीनल कोर्ट केस पृष्ठ 503 में प्रकाशित निर्णय पिटीशन नम्बर 13164/2003 व दिनांक 8–11–2005 विरेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि फौजदारी प्रकरण लम्बित होने या उसमें सम्मिलित होने पर भी आयुद्ध लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका जीविकोपार्जन का साधन मात्र मार्बल व्यवसाय ही है जिसके कारण हथियार के साथ रहना आवश्यक है। अपीलार्थी को कई दिनों तक शहर के बाहर सुनसान स्थानों पर रहना होता है जहां केवल स्वयं के हथियार से ही सुरक्षा की जा सकती है। राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 13–7–2007 के बिन्दु संख्या 6(क) व (ख) के अनुसार व्यवसाय की सुरक्ष व स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार का लाईसेंस जारी किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश दिनांक 30–4–2013 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक नागौर ने पूर्व में अपने आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्सनवी./2011/5777 दिनांक 1–8–2011 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 7/06 धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 302,, 120 बी, भादस व धारा 3/25 आर्म्स

एक्ट तथा मुकदमा संख्या 24/04 धारा 341, 323 भादस पुलिस थाना खाटूबड़ी में दर्ज होकर जैर ट्रायल होने से अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। साथ ही अपीलार्थी विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने तथा वर्तमान में भी सक्रिय अपराधी है जिसके द्वारा शराब फैक्ट्री लगाकार अवैध रूप से शराब का उत्पादन करने से लाईसेंसधारी द्वारा कभी भी आर्म्स लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन कर गंभीर अपराध घटित करने की प्रबल संभावना होने से लाईसेंसधारक के पास हथियार का रखना कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं होना बताते हुए आर्म्स लाईसेंस निरस्त किये जाने की अनुशंषी की है। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 29/98 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर तथा 12 बोर डीबीबीएल गन नम्बर 80842 व 32 बोर रिवाल्वर नम्बर एफ जी 6549 को तुरन्त प्रभाव से पुलिस थाना जायल में जमा कराने के आदेश पारित कर दिये। संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा उक्त आदेश दिनांक 1–8–2011 को निरस्त कर पुनः सुनवाई करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने आदेश दिनांक 30–4–2013 द्वारा अनुज्ञाधारी के विरूद्ध पुलिस थाना जायल में अपराध संख्या 106/2012 अन्तर्गत धारा 143, 148, 149, 323, 326, 364, 307 आईपीसी में दर्ज हुआ तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के अनुसार प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रकरण के तथ्योंको देखते हुए अनुज्ञाधारी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं मानते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 29/98 निरस्त किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर अपीलार्थी के नाम 12 बोर डी.बी.बी.एल. गन संख्या 80842 तथा 32 बोर रिवाल्वर नम्बर एफ. जी./6549 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 29/98 है जो लगातार वर्ष 1998 से नवीनीकृत होता आ रहा था, उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण कराने के लिए निर्धारित अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला मजिट्रेट, नागौर ने अपीलार्थी के चरित्र संबंधी जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक नागौर से रिपोर्ट चाही गई। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 1–8–2011 को आदेश पारित कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 29/98 को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं कर निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। संभागीय आयुक्त अजमेर ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया गया था कि वे राज्य सरकार के पत्र दिनांक 24–2–2010 व परिपत्र दिनांक 16–2010 के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, नागौर की रिपोर्ट दिनांक 21–8–2010 के आधार पर अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का

अवसर देकर आर्म्स लाईसेंस के नवीनीकरण संबंधी आदेश पारित करे। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने आदेश में उल्लेखित किया गया है कि अनुज्ञाधारी के विरूद्ध दर्ज अभियोग संख्या 7/06 अभी भी जैर ट्रायल अदालत है। यह अभियोग आईपीसी की धारा 307 व 302 के अन्तर्गत दर्ज है। इसके अतिरिक्त दिनांक 11–12–2010 को आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कारित गंभीर अपराध के मामले भी अनुज्ञाधारी के विरूद्ध दर्ज हुए है। इस प्रकार अनुज्ञाधारी के विरूद्ध गंभीर आपराधिक मुकदमें अभी भी लम्बित चलना बताया गया है। साथ ही अनुज्ञाधारी के विरूद्ध पुलिस थाना जायल में अपराध संख्या 106/12 अन्तर्गत धारा 143, 148, 149, 323, 326, 364, 307 आईपीसी भी दर्ज हुआ तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के अनुसार ऐऐ मामलों में प्रकरण के गुणागुण के आधार पर निर्णय लिया जानाअपेक्षित मानते हुए नवीनीकरण नहीं किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि पूर्व में संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपीलार्थी को विधिवत एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एव ंना ही जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर से पुनः अपीलार्थी के चरित्र संबंधी रिपोर्ट ही प्राप्त की गई। जिला मजिस्ट्रेट, नगौर ने जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर की पूर्व की रिपोर्ट को आधार बनाकर एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16–2–2010 को उल्लेख कर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा अभी भी चल रहे है या नहीं इसकी जांच किया जाना आवश्यक है। उक्त संबंध में रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर से ही ली जा सकती है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के बाबत नये सिरे से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई और पूर्व रिपोर्ट को आधार मानते हुए ही पुनः आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 10574 दिनांक 24–12–2009 से शासन सचिव गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर को प्रकरण लम्बित होना बताकर जवाब भेजा गया कि आवेदक के विरूद्ध आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत दो प्रकरण वर्तमान में भी लम्बित चल रहे है इसलिए आवेदक के अनुज्ञा पत्र को बहाल अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावे। इसके विपरीत पुलिस अधीक्षक नागौर द्वारा आवेदक के विरूद्ध सभी मुकदमों का विवरण देते हुए अपने पत्र क्रमांक 6516 दिनांक 21–9–2010 से जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को नवीनीकरण की सिफारिश की गई।

जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने अपने पत्र क्रमांक 7314 दिनांक 18–2–2011 में अपीलार्थी आवेदक के विरूद्ध सभी पुराने मुकदमों को लम्बित

दर्शाते हुए तथा नवीन मुकदमा नम्बर (1) 102/10 दिनांक 11–12–2010 अन्तर्गत धारा 19/54, 54ए, 54डी, 56, 65 आबकारी अधिनियम 1950 पुलिस थाना जायल जैरे तफ्तीश (2) मुकदमा नम्बर 103/11–12–2010 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 472, 120 बी भा.द.स. पुलिस थाना जायल जैरे तफ्तीश (3) मकदमा नम्बर 104 /13–12–2010 अन्तर्गत धारा 3/25, 35, आर्म्स एक्ट पुलिस थाना जायल जैरे तफ्तीश बताते हुए नवीनीकरण नहीं किये जाने की सिफारिश की। पुलिस अधीक्षक द्वारा यह रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के मांगे बिना ही स्वतः भेजी है और जिसका उल्लेख जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 1–8–2011 में करते हुए लाईसेंस निरस्त किया है।

संभागीय आयुक्त के पूर्व के निर्णय में स्पष्ट है कि पुलिस कर्मियों के विरूद्ध 16 सीसीए की चार्जशीट अपीलार्थी की शिकायत के आधार पर जारी हुई तथा पुलिस अधीक्षक नागौर की द्वितीय रिपोर्ट के कुछ अंश प्रकरण में संशय पैदा करते है। यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि पुलिस अधीक्षक की यह रिपोर्ट थानाधिकारी जायल के पत्र क्रमांक 418–19 दिनांक 15–2–2011 के क्रम में भेजी गई है इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने कोई रिपोर्ट नहीं मांगी थी। पुलिस अधीक्षक ने इसी को आधार बनाकर रिपोर्ट भेजी है जिसमें उनकी पूर्व रिपोर्ट में अंकित मुकदमों का हवाला भी दिया गया है जिनके आधार पर पूर्व में नवीनीकरण की सिफारिश की गई। परन्तु इस स्वतः प्रेषित दूसरी रिपोर्ट में आबकारी अधिनियम के मुकदमें का हवाला है जो कि अपीलार्थी के द्वारा पुलिस अधिकारियों की शिकायत के बाद स्वतः ही दुर्भावनावश प्रेषित की गई प्रतीत होती है और जिसमें नवीनीकरण की सिफारिश नहीं की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने संभागीय आयुक्त द्वारा प्रतिप्रेषित पत्रावली के तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया तथा पुनः पुराना निर्णय ही लगभग दोहराया है जो सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में पक्ष/प्रतिपक्ष की बहस सुनने का अंकन किया है परन्तु इस पर उन्होंने अपना कोई विवेचन नहीं दिया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16–10–2010 को आधार बनाकर बिना युक्तियुक्त कारण दर्शाये निर्णय पारित किया गया तथा निर्णय में मुकदमों के लम्बित होने का हवाला दिया गया है। राज्य सरकार को भेजे गये जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी के दो मुकदमें लम्बित चल रहे है इसलिए अनुज्ञा पत्र को बहाल या नवीनीकरण किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। राज्य सरकार ने उक्त जवाब के बाद अपने पत्र क्रमांक गृह–9 (2009) दिनांक 24–2–2010 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के अनुसार ''लाईसेंसी के विरूद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन होना'' के आधार पर अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट ने पुनः लम्बित मुकदमों का हवाला देते हुए पूर्व के निर्णय को ही पुनः दोहराया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने पूर्व से मन बनाकर अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की मंशा रखी थी। जो निम्न तथ्यों से स्वतः स्पष्ट हैः–

1. पुलिस अधीक्षक नागौर ने अपनी पूर्व रिपोर्ट में जिन मुकदमों का हवाला दिया है, दूसरी रिपोर्ट में भी उन्हीं मुकदमों का हवाला दिया है जिसमे पूर्व रिपोर्ट में नवीनीकरण की सिफारिश की है, इस रिपोर्ट में नहीं।
2. दूसरी रिपोर्ट में आबकारी अधिनियम में जिन मुकदमों का हवाला दिया है उन पर संभागीय आयुक्त ने प्रकरण रिमाण्ड करते समय विवेचन किया था परन्तु उनकी तरफ कोई ध्यान जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने निर्णय में नहीं दिया।
3. पुलिस अधीक्षक नागौर की द्वितीय रिपोर्ट स्वतः प्राप्त हुई थी। जिला मजिस्ट्रेट के मांगे बिना क्यों रिपोर्ट भेजी गई? इसकी क्या आवश्यकता थी? कहीं स्पष्ट नहीं है।
4. उक्त दूसरी रिपोर्ट स्पष्टतः अपीलार्थी के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध रिश्वत के खिलाफ शिकायत करने एवं उनके विरूद्ध 16 सीसीए की चार्जशीट जारी होने के कारण प्रेषित की गई है, यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।
5. उक्त तथ्यों में जिला मजिस्ट्रेट ही नहीं पुलिस अधीक्षक की भी दुर्भावना प्रतीत हो रही है।

आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(1) में यह स्पष्ट प्रावधान दिये हुए है कि लाईसेंस को रिवोक/निलंबन/निरस्त करने संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने अपने आदेश में अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने संबंधी कोई ठोस कारण अंकित नहीं किये है तथा न ही जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर से अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों बाबत पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2013 विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त प्रकरण में सारगर्भित बिन्दू विचारार्थ नीहित होने से एवं प्रकरण एक बार अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सारगर्भित बिन्दुओं पर अपना कोई विवेचन दिये बिना व स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किये जाने के कारण न्यायालय हाजा के स्तर पर ही विचार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश दिनांक 30–4–2013 विधि विरूद्ध एवं निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर) का आदेश दिनांक 30–4–2013 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाता है एवं साथ ही जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी के नाम 12 बोर डी.बी.बी. एल. गन संख्या 80842 तथा 32 बोर रिवाल्वर नम्बर एफ.जी./16549 शस्त्र

अनुज्ञा पत्र संख्या 29/98 जो लगातार वर्ष 1998 से नवीनीकृत भी होता आ रहा है, के नवीनीकरण की कार्यवाही करते हुए शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकरण बाबत आदेश एक माह में पारित कर न्यायालय हाजा मे पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर